

ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	30/01/2026	आवेदन संदर्भ क्रमांक	1840012608000435
पॉइंट नंजद	डीडी लोहार	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 30/01/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपती एकडेमी सचिव महेन्द्र चौबे
आत्मज / जीजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाका नही दर्शित है | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछौटी	1495	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक , आमोद प्रमोद	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।सूचना की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं शक्तिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- अर्धजन भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कार्यालय बनाकर प्लाट बेचने के पूर्व तथ्यात्मक रूप से उचित सेवा का अभिप्राय इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य परचालित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.उ.न. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न सम्प्राप्त जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न सम्प्राप्त जावे |



सुरज कुमार सिंह
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURAJ KUMAR SINGH SHAKIL
Date: 02-Feb-2026 19:24
Location: Jashpur

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत ऑनलाइन संचालक (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में लिहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning वापस की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	30/01/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000436
पॉइस केंद्र	डीडी लोहावा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, **दुर्ग** दिनांक : **30/01/2026**

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकडेमी सचिव महेन्द्र चौबे
आत्मज / जौजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि-उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं
अधतन बटाकन नहीं दर्शित है | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी
संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1505	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह
जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं उत्तिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कार्रवाई बनाकर प्लाट बेचने के पूरे वैधानिक रूप से उक्त
क्षेत्र का अभिन्वास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्राचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करना अनिवार्य है |
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भूमि-स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरेश सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: Suresh Singh Thakur
Date: 02-Feb-2026 12:22:12
Reason: All Rights Reserved
Location: Chattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सतत प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण
पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त
की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	30/01/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000437
पॉइस केंद्र	डीडी लोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

दुर्ग

प्रति,

दिनांक :

30/01/2026

आवेदक श्री / श्रीमती

सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र चौबे

आत्मज / जौजे

अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाए गए हैं। अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1510	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं लक्षित हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संरक्षित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य पंचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है।
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे।
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।

सुरेश सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: DURESH SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 10:00:00 AM
Reason: छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सतम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	30/01/2026	आवेदन संदर्भ क्रमांक	1840012608000438
पोस्ट कोड	इंजी जोहार	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 30/01/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सांटीपनी एकडेमी सचिव महेंद्र चौबे
आत्मज / जीजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत ।
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शित है । अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अजौटी	1502	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं कतिपय हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा ।

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कारोबारी बलाकर प्लॉट बेचने के पूर्ण वैधानिक रूप में उचित क्षेत्र का अभिप्राय इस कार्यालय से अनुमोदन कराया एवं अन्य परचलित नियमां एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है ।
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जाये ।
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जाये ।

सुरेश कुमार सिंह ठाकुर
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH KUMAR SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 12:19
Location: छत्तीसगढ़

दुर्ग

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिरूपि है जिसे सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिधायन) नियम, 2009 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है ।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वेबसाइट cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	30/01/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000439
पोर्टल केन्द्र	ईडी सीहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

दुर्ग

प्रति,

दिनांक :

30/01/2026

आवेदक श्री / श्रीमती

सादीपनी एकेडमी सचिव महेंद्र चौबे

आत्मज / जौजे

अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाए गए हैं। अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1503	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट.-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं लातिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कारागारी बनाकर प्लाट बेचने के पूरे वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है।
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे।
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।

सुरेश सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH SINGH THAKUR
Date: 02/02/2026 12:21:23
Reason: अभिन्यास छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा
Location: Chhattoosh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सलम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000462
पॉइस केन्द्र	डीडी लोहावा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे
आत्मज / जौजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाएत है | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1514	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक को द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरेश सिंह ठाकुर

जारी करने की तिथि/ Date of issue 02/02/2026

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 12:24:14
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।
(इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000461
पॉइस केन्द्र	झौंशी लोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे
आत्मज / जौजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाए गए हैं | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1484	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरेश सिंह ठाकुर
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 12:22:48
Reason: अनिवार्य
Location: छत्तीसगढ़

- यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।
- इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सतम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |
- आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000460
पोर्टल केन्ट	डीडी खोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकडेमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे
आत्मज / जौजे अर्जेंद्र चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटांकन नहीं दर्शाए हैं | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1482	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट:-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरेश सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 12:22:12
Reason: भूमि उपयोग छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सलम पाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000458
पॉइस केंद्र	डीडी लोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकडेमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे
आत्मज / जौजे अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटांकन नहीं दर्शाए गए हैं | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1480	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट:-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरेश कुमार सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURAJ KUMAR SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 12:21:24
Reason: I am the owner of the document
Location: Chhattisgarh

- यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान की गयी है।
- इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सफल प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |
- आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन संदर्भ क्रमांक	1840012608000457
पॉइस केंद्र	डीडी लोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रति, दुर्ग दिनांक : 01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे
आत्मज / जौजे अर्जेंद्र चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |
उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटांकन नहीं दर्शित है | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1479	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं लातिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट ब्रेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्धण इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरभान सिंह ठाकुर
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURBHAN SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 11:21:13
Reason: अनिवार्य छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सतम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000456
पोर्टल केन्द्र	ईडीडी लोहावा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

दुर्ग

प्रति,

दिनांक :

01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती

सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे

आत्मज / जौजे

अर्जुन चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाए गए हैं। अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1478	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट:-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य पंचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

सुरज सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed,
Name: SURAJ SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 13:25
Reason: 2018
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सत्यता प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	1840012608000455
पॉइस केंद्र	डीडी सोहरा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

दुर्ग

प्रति,

दिनांक :

01/02/2026

आवेदक श्री / श्रीमती

सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र कुमार चौबे

आत्मज / जीजे

अर्जेंद्र चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू-उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाए गए हैं। अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछेटी	1477	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है। स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संगठित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है।
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे।
- इसे भू-स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।

सुरेश सिंह ठाकुर

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURESH SINGH THAKUR
Date: 02-Feb-2026 10:20:23
Reason: I AM THE OFFICIAL
Location: Chhattisgarh

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2008 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सफल प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है।

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



ई-डिस्ट्रिक्ट (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सुचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन तिथि	01/02/2026	आवेदन संदर्भ क्रमांक	1840012608000453
पॉइस केंद्र	डीडी लोहारा	शुद्ध राशि	Rs. 5.00/-

छत्तीसगढ़ शासन

संयुक्त संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय

दुर्ग

दिनांक : 01/02/2026

प्रति,

आवेदक श्री / श्रीमती

सादीपनी एकेडमी सचिव महेन्द्र चौबे

आत्मज / जौजे

अर्जेंद्र चौबे

विषय : दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भू -उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत |

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खसरा मानचित्र में विस्तृत विवरण एवं अधतन बटाकन नहीं दर्शाएत है | अतः दुर्ग - भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर मोटे तौर पर दी जा रही है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

ग्राम / पोस्ट	खसरा नं.	भूमि उपयोग	दुर्ग
अछोटी	1473	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक	

नोट.-आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा मानचित्र अनुसार मोटे तौर पर उपरोक्त जानकारी दी जा रही है।स्थल की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर यह जानकारी मान्य नहीं होगी एवं इसके लिए संपूर्ण दायित्व एवं क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक जिम्मेदार होगा |

उपरोक्त जानकारी के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

- संबंधित भूमि का किसी भी प्रकार के विकास करने या कालोनी बनाकर प्लॉट बेचने के पूर्व वैधानिक रूप से उक्त क्षेत्र का अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदन कराना एवं अन्य प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना अनिवार्य है |
- उ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अंतर्गत इसे किसी भी प्रकार की अनुमति न समझा जावे |
- इसे भू -स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे |

जारी करने की तिथि/ Date of Issue 02/02/2026

Signature valid

Digitally Signed
Name: SURAJ KUMAR
Date: 02-02-2026 10:59
Location: Chhattisgarh

सुरज कुमार
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

दुर्ग

1. यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अंतर्गत ऑनलाइन सुचना से नागरिक सेवा

(इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र में निहित है |

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी cgedistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning प्राप्त की जा सकती है।



